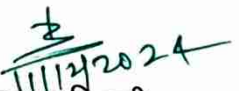
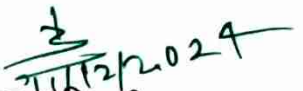


आदेश की क्र०स० एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर कार्यवाई की टिप्पणी सहित
1	2	3
	अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन का जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जांच प्रतिवेदन अंकित है कि “मौजा- रहेया में जाकर राजस्व कागजात एवं नक्शा का मिलान करके अंचल अमीन के साथ स्थलीय जांच किया। जांच में पाया कि गैरमजरूआ खास खाता सं०-41, प्लॉट सं०- 14/3, 10/2 रकबा-0.50 एवं 0.50 ए० कुल रकबा 1 ए० पर श्री जनार्दन साव पिता शिवबालक साव के द्वारा जोत-कोड किया जा रहा है। उनके द्वारा जांच के दौरान बंदोबस्ती पर्चा एवं निर्गत रसीद प्रस्तुत किया गया है, जिससे पता चलता है कि अनुमण्डल पदाधिकारी के बंदोबस्ती वाद सं० 98/2002-03 के अन्तर्गत दिनांक 11.07.2003 को मौजा- रहेया, थाना सं०-345 के अंतर्गत उक्त खाता सं०41, प्लॉट सं०- 14/3, 10/2 रकबा-0.50 एवं 0.50 ए० कुल रकबा 1 ए० की बंदोबस्ती उक्त रैयत श्री जनार्दन साव पिता शिवबालक साव के नाम से हुआ है, जिसका जमाबंदी मौजा-रहेया के मांग पंजी II के पेज सं० 31/I पर दर्ज होकर वर्ष 2014-15 तक रसीद निर्गत हो रहा है। इस प्रकार उक्त जमाबंदी संदेहास्पद/अवैध प्रतीत नहीं होता है। उक्त अवैध जमाबंदी वाद सं० 109/2016-17 से बाहर किया जा सकता है।” अतः अंचल अमीन, राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा समर्पित किए गए जांच प्रतिवेदन के आधार पर वाद की कार्यवाई <u>समाप्त</u> की जाती है। लेखापित एवं संशोधित।  अंचल अधिकारी, मनातू।  अंचल अधिकारी, मनातू।	र

सेवा में

अंग्रेज अधिकारी
मनाह, पलाह ।

विषय: - अंग्रेज / सिखस्यद जमाबंदी केस नं० 109/2016-17 का
अंग्रेज प्रतिपक्ष समर्थन करने के संबंध में ।

महाराज,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि, मौजा - रंथामा
जहाँ राजस्व कृषिजाल एवं जवशा का मिलान करने
अंग्रेज अमीन के साथ स्वकीय अंग्रेज फिदा, अंग्रेज में
पाया कि डीरमजलमा जमा जमा नं० 41 में रंथामा है -
14/3, 10/2 रकबा - 0.50, 0.50 एकड़ - 1.00 एकड़ पर श्री
अनार्दन सत पिता - शिवबालक साहू के द्वारा अंग्रेज - फीद
फिदा आ रहा है । अंग्रेज के अंग्रेज के दौरान बंदी
करा एवं निर्णय रसीद प्रस्तुत किया गया, जिससे पता
चलता है कि अनुमंडल पदाधिकारी के दफ्तर वाद ईद
98/2002-03, के अंतर्गत निर्णय - 11/07/03 को मौजा -
रंथामा जमा नं० 345 के अंतर्गत उक्त जमा नं० 41,
रंथामा - 14/3, 10/2 रकबा कृषिजाल - 0.50, 0.50 एकड़ रकबा -
1.00 एकड़ की बंदी बंदी रंथामा श्री अनार्दन सत पिता -
शिवबालक साहू के नाम से हुआ है जिसका जमाबंदी
मौजा - रंथामा के पीजी-11 के पीज नं० 31 पर दर्ज होकर
वर्ष - 2014-15 तक रसीद निर्णय है, इस प्रकार उक्त
जमाबंदी सिखस्यद / अंग्रेज प्रतिपक्ष नहीं होता है ।

अतः उक्त जमाबंदी को सिखस्यद / अंग्रेज जमाबंदी
से मुक्त किया जा सकता है ।

अंग्रेज अमीन
अ. अमीन मनाह
11/11/2024

11/11/24
RSL-14

विश्वासभाजन
अदिल को रंथामा
रा० 30 कि०
हलकाना 11